

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बलिया।**प्रशासनिक आदेश**

अवकाश के दिनों में रिमाण्ड सम्बन्धी कार्य हेतु **माह- मार्च, अप्रैल (वर्ष 2025)** के लिए निम्न सारणी में वर्णित न्यायिक अधिकारीगण को नामित किया जाता है :-

क्र.सं.	रिमांड माह, वर्ष 2025	रिमाण्ड कार्य करने वाले न्यायिक अधिकारी का नाम एवं न्यायालय का नाम :-
1.	मार्च 2025,	श्री चन्दन सिंह, जे.एम. प्रथम, बलिया।
2.	अप्रैल 2025,	श्री अवनीश कुमार तृतीय, ग्राम न्यायालय सिकन्दरपुर बलिया।

उक्त नामित न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि- वह अवकाश के दिनों में उपर्युक्त सारणी में वर्णित निर्धारित माह में रिमाण्ड सम्बन्धी कार्य नियमानुसार सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

सभी सम्बन्धित सूचित हों।

दिनांक 19.02.2025

(पराग यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बलिया।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. माननीय जनपद न्यायाधीश, बलिया को ससम्मान सूचनार्थ।
2. श्रीमान नोडल अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग बलिया को सादर सूचनार्थ।
3. न्या० जे.एम. प्रथम बलिया।
4. ग्राम न्यायालय सिकन्दरपुर बलिया।
5. समस्त मजिस्ट्रेटयल अधिकारीगण के मध्य सूचनार्थ हेतु परिचालनार्थ।
6. संयुक्त निदेशक अभियोजन अधिकारी, बलिया।
7. सचिव, किमिनल एवं रेवेन्यू बार एसोसिएशन बलिया।
8. सी०जे०एम० कार्यालय बलिया। (आदेश की एक प्रति गार्ड फाईल में संरक्षित की जाए।)

दिनांक 19.02.2025

(पराग यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बलिया।